अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 07 फाल्गुन, 1947 (श०)
26 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 25

(1)	कृषि विभाग	02
(2)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	07
(3)	नगर विकास एवं आवास विभाग	04
(4)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	04
(5)	डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग	04
(6)	सहकारिता विभाग	04
	कुल योग --	25

ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान

98. श्री राजेश कुमार मंडल (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पैक्स एवं मेज फैड समिति का सदस्यता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के सदस्यता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक मत्स्यजीवी सहकारी समितियों की सदस्यता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कराना

99. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र संख्या-102 कुचायकोट)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत सिपाया कृषि फर्म के पास मत्स्य विभाग का 20 एकड़ जमीन उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सारण-चम्पारण में मत्स्य उत्पादन के लिए कोई प्रशिक्षण केन्द्र या बीज उत्पादन केन्द्र नहीं है तथा इसके लिए मत्स्य पालकों को फिशरीज कॉलेज, ढोली मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक गोपालगंज के सिपाया कृषि फर्म के पास उक्त जमीन पर मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र-सह-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

खाद्य उत्पादों की ब्रांडिंग करना

100. श्री केदार नाथ सिंह (क्षेत्र संख्या-115 बनियापुर)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में बड़ी संख्या में महिलाएँ पारंपरिक खाद्य उत्पादों जैसे ठेकुआ, पापड़, आचार, बड़ि आदि के निर्माण में दक्ष है, लेकिन संगठित संरचना, ब्रोडिंग, पैकेजिंग एवं बाजार तक पहुँच के अभाव में उन्हें उनके श्रम का उचित आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक महिला केन्द्रित सहकारी समितियों की स्थापना कर उनके उत्पादों के लिए राज्य स्तरीय ब्रांड विकसित करते हुए ई-कॉमर्स एवं निर्यात चैनलों से जोड़ने हेतु उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दिशा-निर्देश जारी करना

101. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में मियावाकी तकनीक विकसित नहीं रहने के कारण अधिकांश शहरी निकायों में हरित आवरण (Green Cover) राष्ट्रीय मानकों से कम है, जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, सहित देश के अन्य राज्यों के शहरी निकायों द्वारा इस तकनीक को अपनाकर सीमित भूमि पर अल्प अवधि में घने शहरी वन विकसित कर पर्यावरणीय संकट को कम किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में उपलब्ध खाली जमीन पर मियावाकी वन विकसित करने हेतु कबतक दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

102. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कई ग्राम पंचायत उत्क्रमित होकर नगर पंचायत/नगर परिषद् एवं नगर निगम में शामिल हो चुके हैं तथा समय-समय पर सरकार इस प्रक्रिया को कार्यरूप देती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उत्क्रमित होने के बावजूद उक्त क्षेत्र के जल सैरात, सार्वजनिक हाट बाजार संबंधी बंदोबस्ती राजस्व विभाग एवं डेयरी, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधीन होने से नगर पंचायत, नगर परिषद् व नगर निगम बंदोबस्ती कार्य से वंचित रहते हैं जिससे व्यवस्थित रूप से शहरी विकास कार्य बाधित होता है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

केश नम्बर के रूप में दर्ज करना

103. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सभी अंचलों में दाखिल-खारिज संबंधित टेम्प नम्बर में लाखों आवेदन-पत्र विगत पाँच वर्षों से लम्बित है, यदि हाँ, तो सरकार उस टेम्प नम्बर आवेदनों को कबतक दाखिल-खारिज केश नम्बर में के रूप में दर्ज करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अधिसूचित करना

104. श्री वैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र संख्या-23 रीगा)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के रीगा प्रखंड मुख्यालय दो ग्राम पंचायतों में विभक्त है जिसकी कुल आबादी 35390 है जो नगर परिषद् के रूप में अधिसूचित होने की सभी अर्हताओं को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक रीगा प्रखंड मुख्यालय को नगर परिषद् के रूप में अधिसूचित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बोनस देना

105. मोहम्मद मुर्शिद आलम (क्षेत्र संख्या-50 जोकीहाट)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी 38 जिलों में सरकार द्वारा पैक्सों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद किसानों से की जा रही है जबकि छत्तीसगढ में कृषक उन्नत योजना के अन्तर्गत किसानों से धान उक्त वित्तीय वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देते हुए 3,100 प्रति क्विंटल की दर से खरीद किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य में धान के समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्णायक अधिकार देना

106. श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या-213 काराकाट)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में रैयती भूमि के स्वामित्व, टाइटल निर्धारण, स्थायीकरण अथवा परिमार्जन, बंटवारा से संबंधित निर्णायक अधिकार एस0डी0एम0 एवं डी0सी0एल0आर0 के पास है जबकि व्यावहारिकता में भूमि के उक्त संबंधी विवाद को अंचलाधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित विवादों के मामलों में एस0डी0एम0 एवं डी0सी0एल0आर0 सहित अंचलाधिकारी को निर्णायक अधिकार देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई

107. श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित NFSA के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) से राज्य के प्रत्येक राशन कार्डधारियों को प्रति यूनिट 5 Kg मुफ्त अनाज वितरण किया जाना है, जिसके बदले प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के मिलीभगत से 3.5 Kg से 4 Kg अनाज सभी लाभार्थियों को वितरण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसकी जाँच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कंट्रोल ऑर्डर लागू करना

108. श्री ललन राम (क्षेत्र संख्या-222 कटुम्बा (अ0जा0))--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के 38 जिलों में लगभग 55000 जन-वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0) विक्रेता कार्यरत हैं, जो न्यूनतम आय के अभाव में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, साथ ही राज्य में अभी भी बिहार कंट्रोल ऑर्डर 2016 ही लागू है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गुजरात सरकार पी0डी0एस0 विक्रेताओं को रुपया 30,000 प्रतिमाह मानदेय तथा दिल्ली एवं हरियाणा सरकार प्रति क्विंटल रुपया 300 मार्जिन मनी देती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक जन-वितरण प्रणाली विक्रेताओं को रुपया 30,000 प्रतिमाह मानदेय अथवा रुपया 300 प्रति क्विंटल मार्जिन मनी का भुगतान करते हुये राज्य में कंट्रोल ऑर्डर 2025 लागू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

टोपो लैंड का मालिकाना हक देना

109. श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र संख्या-143 तेघड़ा)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के लाखों हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का असर्वेक्षित/टोपो लैंड के नाम पर रसीद कटना 2013-14 से ही बंद हो गया है तथा उक्त भूमि के क्रय-विक्रय पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि असर्वेक्षित भूमि के रैयतीकरण के संबंध में नीति निर्धारण हेतु विभाग स्तर पर एक समिति का गठन वर्ष 2019 में ही किया गया था, परन्तु अभीतक किसी तरह का निर्णय नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के असर्वेक्षित/टोपो लैंड के मालिकाना हक एवं अधिकार के बिन्दु पर शीघ्र कोई निर्णय लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नीति को स्पष्ट करना

110. श्री रणधीर कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-114 मांझी)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के तहत बिहार में हुए सर्वे के आधार पर तैयार खतियान में रैयत कॉलम में अंकित किसी व्यक्ति का नाम, उक्त व्यक्ति के कब्जे में भू-खंड, निर्धारित लगान की अदायगी, जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भी उक्त व्यक्ति का नाम दर्ज रहने के बावजूद यह भू-खंड गैर-मजरुआ मानी जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भी सरकार की नीति जमीनों के मालिकाना हक पर अस्पष्ट है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भू-खंडों पर रैयतों के मालिकाना हक की नीति को स्पष्ट करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

111. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में पैक्सों द्वारा खरीद की जा रही धान की फसल उत्पादन करने वाले किसान का धान उत्पादन अनुरूप पैक्स नहीं ले रहा है, जिससे किसान कम दाम पर धान बेच रहे हैं एवं बिचौलिए माला-माल हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार बिचौलिए एवं उन्हें संरक्षण देने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली लागू करना

112. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया (अ0जा0))--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2024 में पी0एफ0एम0एस0 के तहत भुगतान की प्रक्रिया सरल और समयबद्ध थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 से SNA & SPARSH (Single Nodal Account-CFMS 2.0) के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, जो अत्यधिक जटिल है और इसमें पैसा फंस जाने पर विक्रेताओं को महीनों-सालों तक भुगतान नहीं मिल पाता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार इस जटिल प्रक्रिया को समाप्त कर पुनः पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली को लागू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बंदोबस्त करना

113. श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र संख्या-190 पालीगंज)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में 23 दिसम्बर, 2025 को प्रकाशित शीर्षक "सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए जनवरी से चलेगा विशेष अभियान" के आलोक में क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में वैसे भूमिहीन है जो दशकों से सरकारी भूमि पर बसे हैं, उन्हें उक्त भूमि पर बंदोबस्त नहीं किया गया और ना ही उन्हें अन्यत्र जमीन पर पर्चा निर्गत किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन्स होमस्टीड टेनेन्सी ऐक्ट, 1947 के अनुसार भू-स्वामियों को रैयती जमीन पर बसे भूमिहीनों तथा प्रवर्तित स्वरूप वाले भूमि बसावटों का बन्दोबस्तीकरण किये जाने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वैसे भूमिहीन परिवार जो सरकारी जमीन अथवा परिवर्तित स्वरूप वाली जमीन पर बसे हुए हैं को उक्त जमीन पर बंदोबस्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमाबंदी निरस्तीकरण एवं अतिक्रमण हटाना

114. डॉ0 सुनील कुमार (क्षेत्र संख्या-172 बिहारशरीफ)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के बिहारशरीफ में अवस्थित बाबा मणीराम अखाड़ा के सामने एवं सटे उत्तर और दक्षिण गैर-मजरुआ आम भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा गलत रूप से जमाबंदी कराकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थान से अतिक्रमण हटाते हुए गलत जमाबंदी का निरस्तीकरण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धान खरीदारी की तिथि बढ़ाना

115. श्री बशिष्ठ सिंह (क्षेत्र संख्या-209 करगहर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में एफ0आर0के0 के कमी के कारण चावल एस0एफ0सी0 में जमा नहीं होने से किसानों को ससमय धान का उचित मूल्य एवं पैक्सों को राशि नहीं मिलने के कारण लक्ष्य के हिसाब से धान खरीदारी नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक धान खरीदारी की तिथि बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आर्थिक क्षति की भरपाई

116. मो0 कमरूल होदा (क्षेत्र संख्या-54 किशनगंज)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 1 फरवरी, 2026 को प्रकाशित शीर्षक ''सुस्ती एक माह में 17 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना चुनौती'' के आलोक में क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि 1 नवम्बर, 2025 से 28 फरवरी, 2026 के बीच किसानों से 36.85 लाख मीट्रिक टन धान पैक्स एवं व्यापार मंडल के द्वारा खरीद कर लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरुद्ध 31 जनवरी, 2026 तक मात्र 19.85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो सकी है ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसान खुले बाजार में अपना धान बेचने पर विवश हो गये हैं जिसके कारण उन्हें आर्थिक क्षति हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जमाबंदी की व्यवस्था

117. श्री मुरारी पासवान (क्षेत्र संख्या-154 पीरपैंती (अ0जा0))--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में गंदा नदी की कटाव से विलिन भूमि गंगशिष्ट गंगबरार को राजस्व अभिलेखों में गंगशिष्ट दर्ज कर सरकारी खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, उक्त जमीन वर्षों बाद पुनः प्रकट होकर गंगबरार होने पर मूल रैयतों को स्वामित्व वापस नहीं दिया जाता है जिससे उक्त जिलों के किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जमीन को पुनः किसानों को वापस नहीं होने का कारण नियमावली का नहीं होना है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पुनःस्थापन नियमावली के साथ गंगबरार भूमि मूल रैयतों को वापस करने सहित पुनः जमाबंदी की व्यवस्था कबतक बहाल कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पद सृजन हेतु कार्रवाई

118. श्री अमरेन्द्र कुमार (क्षेत्र संख्या-219 गोह)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सरकार के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के अधीन नवगठित अभियंत्रण कोषांग में संगठनात्मक संरचना को विकसित और सुदृढ़ करने हेतु 139 पदों के सृजन हेतु आदेश विभागीय स्तर पर पिछले । वर्ष से ज्यादा से लम्बित है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विभाग को विकसित एवं सुदृढ़ करने हेतु पद सृजन के प्रस्ताव पर विभागीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य विभाजन करना

119. श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र संख्या-87 जाले)--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में स्थित तालाब/पोखर के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण एवं शहरी उपयोग हेतु नगर विकास विभाग द्वारा योजना बनाये जाने के बावजूद मत्स्य सहयोग समिति अथवा जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रदान नहीं किए जाने के कारण ऐसी योजनाएँ क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं, जिससे शहरी विकास बाधित होता है, यदि हाँ, तो सरकार नगर निकाय क्षेत्र में अवस्थित जल-सैरात एवं सार्वजनिक हाट/बाजार को नगर निकाय को हस्तांतरित करने तथा मत्स्य विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग के बीच कार्य विभाजन एवं समयबद्धता निर्धारित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

120. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कृषि विभाग द्वारा बिहार राज्य बीज निगम के माध्यम से दलहन एवं तेलहन फसलों का टी0एल0 किसानों के बीच वितरण किया जाता है तथा बीज निगम निर्धारित दर पर टी0एल0 बीज की आपूर्ति बीज विक्रेता से लेती है, परन्तु बीज विक्रेता मंडी से रवैहन दलहन एवं तेलहन खरीदकर अपना टैग लगाकर बीज निगम को आपूर्ति करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि बीज निगम द्वारा टी0एल0 बीज का प्रभेद एवं उसके उत्पादक की जाँच किये बगैर भौतिक शुद्धता एवं अनुकरण जाँच प्रतिवेदन के आधार पर क्रय की जाती है, जिससे अनुवांशिक शुद्धता के अभाव में किसानों की क्षति होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

लेक फार्मिंग योजना लागू करना

121. श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में तीन लाख बयालीस हजार छः सौ दो एकड़ भूमि पर वर्ष भर जल-जमाव के कारण प्रभावित किसान कृषि कार्य नहीं कर पाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि जल-जमाव प्रभावित कृषि क्षेत्रों में लेक फार्मिंग योजना लागू नहीं रहने के कारण राज्य में सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन, व्यावसायिक खेती और मछली पालन में बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन अवरुद्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लेक फार्मिंग नीति बनाकर इसे राज्य में लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आयु सीमा 67 वर्ष कराना

122. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पशु चिकित्सकों को भी मानव चिकित्सकों के समतुल्य सभी सुविधाएँ दी जाने की घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी, परंतु अभीतक पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समतुल्य डी0ए0सी0पी0 (डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन) एवं सेवानिवृत्ति आयु सीमा 67 वर्ष की सुविधा नहीं प्रदान की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दंत चिकित्सक, आयुष चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समतुल्य डी0ए0सी0पी0 और सेवानिवृत्ति आयु सीमा 67 वर्ष की सुविधा प्रदान कर दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक घोषणा के अनुरूप पशु चिकित्सा संवर्ग के पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों के समतुल्य डी0ए0सी0पी0 और सेवानिवृत्ति आयु सीमा 67 वर्ष करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 26 फरवरी, 2026 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0 46(एल0ए0), 2025-26-डी0टी0पी0-600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026